सं0– 928 / उन्तीस / 04–2(52पे0) / 2002

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग– देहरादूनः दिनांक 27 अप्रेल, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1332/धनांवटन प्रस्ताव दिनांक 15.04.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 के प्रथम चार माह में व्यय हेतु रू0 166.67 लाख (रू0 एक करोड़ छियासठ लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा ।

2– उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा संयुक्त सचिव, उत्तरांचल शासन के प्रति हस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास विकास एवं निर्माण निगम देहरादून के बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा धनराशि वास्तविक आवश्यकतानुसार दो समान किश्तों में पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरांत ही आहरित की जायेगी। आहरण से संबंधित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग एंव वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय भौतिक प्रगति यथा समय शासन को उपलब्ध करायेगें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत तत्काल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

क्रमशः..2..

4– गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत किये गये व्यय में सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर राज्य सरकार की वचनबद्वता की सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकेगी और इसके अभिलेखों का रख–रखाव योजनवार अलग–अलग किया जायेगा ।

5– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो के सापेक्ष उ0 प्र0 शासन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–2–87(1)/दस –97–17(4)/75 दिनांक 27–02–1997 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगा किन्तु वेतनादि मद में व्यय की जा रही धनराशि के सापेक्ष सेंटेज चार्जेज देय नही होगा। इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय ।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाईनेन्शियल हैण्ड़बुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायं । निर्माण/रख–रखाव कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

7– उक्त स्वीकृति धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

9– उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02 मल निकासी एवं सफाई–आयोजनागत–106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण–03–गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रख–रखाव हेतु पेयजल निगम को अनुदान(फेज–1 व 2)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–124/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 24 अप्रेल,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहा हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 928/उन्तीस/04–2(52पे0)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
3–जिलाधिकारी,देहरादून/हरिद्वार।
4–कोषाधिकारी,देहरादून।
5–परियोजना प्रबन्धक,गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,उत्तराचंल पेयजल निगम हरिद्वार।
6–श्री एल0एम0पन्त,अपर सचिव,वित्त बजट अनुभाग।
7–वित्त अनुभाग–3/ वित्त बजट सेल/नियोजन अनुभाग,
8–निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराचंल शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9– निजी सचिव,मा0 ग्राम्य विकास एंव मा0 पेयजल मंत्री जी,उत्तराचंल शासन को मा0 मंत्री जी के सज्ञानार्थ।
10–मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून।
11–निदेशक, एण्न0आई0सी.,उत्तराचंल सचिवालय कैम्पस,देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव